राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1742/2012/चित्तौडगढ

मैसर्स खेतान केमिकल्स एण्ड फटीलाईजर्स लिमिटेड
धीनवा,चित्तौडगढ — अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी
निम्बाहेडा — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः
श्री वी.के.पारीक
अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री आर.के.अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक — अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांकः 21.08.2015

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवसायी की ओर से उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 28/वैट/रेक्टीफिकेशन/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 10.07.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 20.04.2009 को रोड चेकिंग के दौरान रात्रि 3.50 ए.एम. पर निम्बाहेडा छोटी सादडी रोड पर कारूण्डा चौराहा वाहन संख्या आर.जे.33 जीए 0603 को निम्बाहेडा से छोटीसादडी की ओर से जाते हुए वाणिज्यिक कर अधिकारी,वृत निम्बाहेडा(जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा चेक किया गया। वाहन चालक वक्त चेकिंग वाहन मे लदे माल से सम्बन्ध में मैसर्स खेतान सर्विस प्रा.लि. की बिल्टी संख्या 20056 दिनांक 29.04.2009 एवं इनवाईस संख्या 0133 दिनांक 29.04.2009 आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये। वाहन चालक से पूछने पर उसके द्वारा बताया गया कि परिवहनित माल को नया गांव ले जा रहा है। कर निर्धारण अधिकारी नेक भौगोलिक स्थिति के अनुसार बताये गये स्थान पर जाने के वह रास्ता उचित नहीं है, इसलिए परिवहनित माल को करापवंचन की दोषी मानसिकता से परिवहन किया जाना मानते हुए वाहन चालक एवं माल प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। उक्त कारण बताओ नोटिस की पालना में श्री अरूण कुमार जैन, अधिकृत प्रतिनिधि ने जवाब पेश किया,जिसमें बताया गया कि उक्त माल नया गांव स्थित अपनी शाखा को अन्तरण कर रहा है। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रस्तुत जवाब को अमान्य करते हुए माल की कीमत रू.1,01,500/–पर धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रू.30,450/– एवं कर रू. 4060/– आरोपित करते हुए आदेश दिनांक 30.04.2009 पारित किया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तत करने पर उन्होंने दोनो पक्षों की सुनने

के पश्चात आदेश दिनांक 05.10.2010 पारित करते हुए कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 30.04.2009 को यथावत रखते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर दी।

अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 20.04.2012 को पत्र लिखते हुए बताया गय कि अपीलीय अधिकारी ने पारसोला को राजस्थान राज्य में मानकर अपील खारिज की गई है जबकि पारसोली मध्य प्रदेश राज्य में है और मध्य प्रदेश बांच द्वारा वैट वसूल कर पारसोली को चालान जारी किया जो वैट वसूला गया है वह मध्य प्रदेश राज्य का है । वाहन चालक को नया गांव की तरफ ले गया मगर रेलवे फाटक पर कार्य चलने तथा वाहनों का जाम और रात का समय होने की वजह से वाहन को वही खडा कर ट्रांसपोर्टर से मोबाईल पर बताकर नया गांव जाकर नयागांव से पारसोली की बिल्टी व बिल ट्रांसपोर्टर सेलेकर पुनः फाटक से पारसोली के लिए रवाना हो गया । जल्द बाजी में नया गांव की बिल्टी व चालान देना भूल गया,इस वजह से वाहन चालक के पास दोनों बिल्टियॉ थी जिसमें किसी प्रकार की चोरी की मंशा नहीं थी, अतः निर्णय दिनांक 05.10.2010 पारित करने में भूल हुई है,जिसमें सुधार करने की कृपा करें।

अपीलीय अधिकारी ने उक्त प्रकार से प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात संशोधित आदेश दिनांक 10.07.2012 पारित कर पारसोला को त्रुटिवश राजस्थान में लिखा गया है,जिसमें सुधार करते हुए मध्य प्रदेश पढा जावे, का निर्णय पारित करा शेष आदेश को यथावत रखते हुए प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार किया है, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.2012 रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि वक्त चेकिंग प्रस्तुत बिल एवं इनवाईस मैसर्स खैतान कामर्शियल सर्विस प्रा.लि. धीनवा से नयागांव की प्रस्तुत की गई,जिससे स्पष्ट है कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003(जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 76(6) के विहित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये थे इसलिए अधिनियम की धारा 76 (6) की पालना हो जाने से उसका उल्लंघन मानकर शास्ति एवं कर आरोपित किया जाना अविधिक है। उनका कथन है नोटिस की पालना में सभी तथ्यों को उजाकर कर दिया गया था,जिस पर कर निर्धारण अधिकारी ने ध्यान नहीं देते हुए अधिनियम की धारा 76 (6) का अभियोग बनाकर कार्यवाही की है,जो पूर्णतः अनुचित एवं अविधिक है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों पर बिना ध्यान दिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.2012 पारित किया है,जो प्रकरण के तथ्यों के विपरीत है। उन्होंने उक्त

कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को अपास्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वक्त चेंकिंग प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों में बिल्टी मैसर्स खैतान कामर्शियल एण्ड फर्टीलाइर्स सर्विस प्रा.लि. क्रमांक 20056 दिनांक 29.04.2009 धीनवा से नयागांव माल एस एस पी 700 कटटं एवं मैसर्स खैतान कामर्शियल एण्ड फर्टीलाइर्स सर्विस प्रा.लि धीनवा का इनवाईस नम्बर 0177 दिनांक 29.04.2009 माल मूल्य रूपये 1,01,500/— के प्रस्तुत किये गये है, लेकिन गहन पूछताछ एवं तलाशी के दौरान एक अतिरिक्त लिफाफा और मिला,जिसमें पाये गये दस्तावेजों में 1. बिल्टी मैसर्स खैतान कामर्शियल एण्ड फर्टीलाइर्स सर्विस प्रा.लि. क्रमांक 20043 दिनांक 29.04.2009 नयागांव से पारसोला माल एस उस पी 700 कटट् तथा 2. मैसर्स खैतान कामर्शियल एण्ड फर्टीलाइर्स सर्विस प्रा. लि.नयागांव का चालान नम्बर 124 दिनांक 29.04.2009 माल मूल्य रू. 1,19,210/—अंकित हैं, के पाये गये हैं। उनका कथन है कि उक्त दस्तावेज जो विरोधाभासी हैं, पाये जाने से स्पष्ट है कि उक्त माल करापवंचन की मंशा से परिवहनित किया जा रहा है,जिससे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए शास्ति एवं कर आरोपित किया है,जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि शाखा अन्तर की पहली शर्त है कि माल जब तक शाखा कार्यालय को प्राप्त नहीं हो जाता उसकी बिक्री नहीं की जा सकती। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा वाहन चालक एवं नोटिस के जवाब पर पूर्ण रूप से विचार करने के पश्चात मूल अपील निर्णय दिनांक 05.10.2010 पारित किया था,इसीलिए उन्होंने मूल्य अपील को आंशिक संशोधन किया है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेकन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड तथा अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.2012 तथा मूल अपील निर्णय दिनांक 05.10.2010 का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि परिवहनित माल को कारूण्डा चौराहे पर चेक करने पर तत्समय बिल्टी संख्या 20056 दिनांक 29.04.2009 धीनवा से नयागांव माल एस एस पी 700 कटटे एवं इनवाईस संख्या 0177 दिनांक 29.04.2009 माल मूल्य रू. 1,01,500/— वाहन चालक द्वारा प्रस्तुत किये गये। तत्पश्चात वाहन चालक से गहन पूछताछ के दौरान एक लिफाफा वाहन में मिला,जिसके अन्दर बिल्टी क्रमांक 20043 दिनांक 29.04.2009 नयागांव से पारसोला माल एस एस पी 700 कटटे एवं चालान नम्बर 0124 दिनांक 29.04.2009 माल मूल्य रू. 1,19,210/—पाये गये।

बहस के दौरान एवं अपीलीय स्तर पर यह तर्क दिया गा है कि उक्त माल शाखा हस्तान्तरण पर खाद राज्य के बाहर ले जाया जा रहा था। वाहन चालक द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये उनके अनुसार माल धीनवा से नयागांव के लिए जा रहा था, परन्तु उक्त माल गन्तव्य स्थान पर पहुॅचे बिना वाहन की जांच पर नयागांव से पारसोला माल जाने के दस्तावेज कैसे पाये गये । शाखा हस्तान्तरण पर शाखा पर माल पहुॅचने के पश्चात ही माल बेचे जाने के पश्चात दस्तावेज तैयार किये जा सकते है, परन्तु यहां स्थिति भिन्न है, यहां माल रवाना होने के साथ ही दूसरे स्थान पर माल ले जाने के दस्तावेज वाहन चालक को दिये गये,जिससे स्पष्ट है कि माल का गमनागमन करापवंचन की दोषी मानसिकता से किया जा रहा था। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों पर विस्तृत विवेचन के पश्चात अपीलाधीन आदेश पारितकिया है इसलिए पुनः उन्हीं तथ्यों की विवेचना किया जाना आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है। अतः यह पीठ विद्वान अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश में दिये गये निष्कर्ष से पूर्णतः सहमत है।

प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत की गई अपील अस्वीकार करते हुए विद्वान अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.10.2010 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य